झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक– वि0प्रा0बजट गै0यो0–81/09 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक,
–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए स्थापना व्यय हेतु मुख्य शीर्ष–2203 –तकनीकी शिक्षा लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन उप शीर्ष–01–तकनीकी शिक्षा निदेशालय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन निम्नलिखित इकाईयों में उपबंधित राशि में से आवंटन स्तम्भ–4 के अनुसार कुल रूपये 1,60,000/– (रू0 एक लाख साठ हजार) मात्र आवंटन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र0स0	प्राथमिक ईकाई	विपत्र कोड	वर्त्तमान आवंटन
1	2	3	4
01	वेतन	43S22030000101000101	1,10,000.00
02	विधि प्रभार	43S22030000101000760	50,000.00
		योग :–	**1,60,000.00**

02. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक– 257/बजट दिनांक– 21.03.2024 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की आपकी जबाब देही होगी।

03. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें।

04. राशि के व्यय में जहॉ तक हो सके मितव्ययिता बरती जाय।

05. यह राशि स्थापना व्यय से संबंधित है।

06. वेतन मद में राशि की कमी होने पर पूर्ण औचित्य के साथ राशि की मॉग यथा समय करेगें।

07. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

08. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाएगी, राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा

09. झारखंड कोषागार संहिता–174 का सख्ती से पालन किया जायेगा।

10. विपत्र पर बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड सही एवं सुस्पष्ट रूप से अंकित करेगें, ताकि महालेखाकार कार्यालय को वाउचर पोस्टिंग करने की असुविधा नहीं हो।

11. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जाय।

12. विषयांकित राशि वित्त विभाग के पत्रांक 204/बजट दिनांक 06.03.2025 के द्वारा तृतीय अनुपूरक से प्राप्त हुआ है।

13. व्यय की गई राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, राँची एवं वित्त (अंकेक्षण) के क्षेत्रान्तर्गत रहेगा।

14. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।

15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16. व्यय विवरणी टि0भी0न0 सहित संकलित कर महालेखाकार कार्यालय में संधारित आकड़ा से त्रैमासिकी लेखाओं का सत्यापन/मिलान सुनिश्चित करेगें तथा इस पर व्यक्तिगत ध्यान देगें।

विश्वासभाजन

ह0/–

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0बजट गै0यो0–81/ 09 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– वि0प्रा0बजट गै0यो0–81/09 – 279 /राँची, दिनांक – 20.03.2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, राँची/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/बजट पदाधिकारी /नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/विपत्र शाखा दो प्रतियों में/प्रभारी निर्गत शाखा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/25

सरकार के अपर सचिव।